भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1471

दिनांक 24.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्कूलों और आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय की सुविधाएं

1471. श्रीमती झरना दास बैद्यः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार कितने स्कूलों और आंगनवाड़ी केन्द्रों में समुचित शौचालय/स्वच्छता सुविधाओं का अभाव है;
(ख) देश में शेष स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्मित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित की गई और प्रयुक्त की गई राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) स्कूलों में शौचालय/स्वच्छता सुविधाओं से संबंधित विषय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा देखा जाता है। इस मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) 2016-17 (अनंतिम) के अनुसार, बालिका शौचालय रहित सरकारी स्कूलों की कुल संख्या 20,977 (1.93%) और बालक शौचालय रहित शौचालयों की कुल संख्या 28,713 (2.67%) है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

आँगनवाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसी) में शौचालय/स्वच्छता सुविधाओं का विषय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा देखा जाता है। उस मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, जून, 2018 तक देश में प्रचालित कुल 13,63,300 एडब्ल्यूसी में से 9,29,339 एडब्ल्यूसी में शौचालय सुविधाएं हैं। राज्य वार ब्यौरा **अनुलग्नक-2** में दिया गया है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2017-18 दौरान 69,974 एडब्ल्यूसी में शौचालयों के निर्माण के लिए निधियां भी जारी की हैं।
(ख) बच्चों की नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (आरटीई), 2009 में अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल में बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय होने चाहिएं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार सभी राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक निर्देश जारी करें और यह सुनिश्चित करें कि गैर-सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत (निजी, सहायता प्राप्त स्कूल आदि) आने वाले स्कूलों सहित सभी आरटीई अधिनियम के इन प्रावधानों का अनुपालन करें। कई अवसरों पर राज्यों को यह अनुस्मरण कराया गया है कि वे सभी स्कूलों में शौचालयों का रखरखाव करें और इन्हें

कार्यशील, साफ-सुधरा रखे और अंतराल यदि कोई हो तो खत्म करें और सभी स्कूलों में शौचालयों की उपलब्धता एवं कार्यात्मकता सुनिश्चित करें। दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से लागू समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत, यूडीआईएसई द्वारा निर्धारित अन्तराल और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मौजूदा सरकारी स्कुलों को सुदृढ़ बनाने और शौचालयों सहित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन एवं संवर्धन के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम में, सभी सरकारी स्कूलों के लिए, विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर करते हुए 25,000 रु. से 1,00,000 रु. तक के वार्षिक आवर्ती स्कूल संयुक्त अनुदान का भी प्रावधान है। प्रत्येक स्कूल के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वच्छता कार्य योजना से संबंधित शौचालयों के रखरखाव सहित कार्यकलापों पर संयुक्त स्कूल अनुदान का कम-से-कम 10 प्रतिशत व्यय करें। इस स्कीम में अवसंरचना को उत्तम स्थिति में रखने के लिए मौजूदा स्कूल भवन, शौचालयों और अन्य सुविधाओं के वार्षिक रखरखाव और मरम्मत का भी प्रावधान है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, देशभर में प्रचालित 13,63,300 एडब्ल्यूसी के अतिरिक्त, आंगनवाडी सेवाओं (आईसीडीएस) के तालमेल से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत 4 लाख आँगनवाडी केन्द्र भवनों (शौचालय सुविधा युक्त) के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संयुक्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2017-18 तक पूर्व के सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के अंतर्गत और वर्ष 2018-19 में समग्र शिक्षा के अंतर्गत गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकारी प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों में शौचालयों के लिए अनुमोदित परिव्यय/अनुमान निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	**एसएसए**	**आरएमएसए**
	प्रारंभिक स्कूलों में शौचालयों के लिए स्वीकृत परिव्यय/अनुमान	**माध्यमिक स्कूलों में शौचालयों के लिए स्वीकृत परिव्यय/अनुमान**
2015-16	391.16	5.48
2016-17	318.12	34.64
2017-18	211.63	6.02
2018-19*	117.14	9.07

* 1.4.2018 से प्रभावी समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत

** चूंकि इस स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित कार्यकलापों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक मुश्त राशि जारी की जाती है अतः एकल घटक पर व्यय का रख रखाव केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2017-18 के दौरान 69,974 एडब्ल्यूसी भवनों में शौचालयों के निर्माण हेतु जारी की गई निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-3** में दिया गया है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत एडब्ल्यूसी भवन के निर्माण के लिए जारी की गई निधियों को दर्शानेवाला विवरण **अनुलग्नक-4** के रूप में संलग्न है।

अनुलग्नक-1

दिनांक 24.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1471 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित विवरण

बालक एवं बालिका शौचालय रहित स्कूलों की सर्वाधिक एवं न्यूनतम संख्या वाले राज्यों को दर्शाने वाले शौचालय सुविधा रहित सरकारी स्कूलों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरों को दर्शानेवाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	बालिका शौचालयों रहित स्कूलों की संख्या	बालक शौचालयों रहित स्कूलों की संख्या	बालिका शौचालयों रहित स्कूलों का प्रतिशत	बालक शौचालयों रहित स्कूलों का प्रतिशत
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	123	165	0.28	0.38
3	अरुणाचल प्रदेश	152	174	4.40	5.15
4	असम	1461	3329	2.76	6.41
5	बिहार	7915	8989	10.59	12.13
6	चंडीगढ़	0	0	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	287	299	0.62	0.65
8	दादरा एव नगर हवेली	0	0	0.00	0.00
9	दमन एवं दीव	0	0	0.00	0.00
10	दिल्ली	0	0	0.00	0.00
11	गोवा	0	0	0.00	0.00
12	गुजरात	18	42	0.05	0.12
13	हरियाणा	100	167	0.73	1.26
14	हिमाचल प्रदेश	3	4	0.02	0.03
15	जम्मू एवं कश्मीर	867	1301	3.67	5.56
16	झारखंड	271	285	0.68	0.72
17	कर्नाटक	731	1427	1.48	2.92
18	केरल	26	60	0.52	1.20
19	लक्षद्वीप	0	0	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	4672	5735	3.93	4.88
21	महाराष्ट्र	955	1441	1.44	2.18
22	मणिपुर	17	12	0.51	0.36
23	मेघालय	407	173	5.22	2.23
24	मिजोरम	25	37	0.96	1.43
25	नागालैंड	54	7	2.58	0.33
26	ओडिशा	423	1423	0.73	2.48
27	पुडुचेरी	0	0	0.00	0.00
28	पंजाब	43	117	0.21	0.58
29	राजस्थान	558	596	0.82	0.89
30	सिक्किम	4	4	0.51	0.46
31	तमिलनाडु	0	0	0.00	0.00
32	तेलंगाना	586	1378	2.02	4.86
33	त्रिपुरा	1	0	0.02	0.00
34	उत्तर प्रदेश	534	623	0.33	0.39
35	उत्तराखंड	655	566	3.71	3.24
36	पश्चिम बंगाल	89	359	0.11	0.45
	अखिल भारतीय	**20977**	**28713**	**1.93**	**2.67**

स्रोत: यूडीआईएसई 2016-17 (अस्थायी)

अनुलग्नक-2

दिनांक 24.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1471 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित विवरण

जून 2018 को समाप्त तिमाही के लिए एडब्ल्यूसी में शौचालय सुविधाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा					
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्वीकृत एडब्ल्यूसी**	**प्रचालित एडब्ल्यूसी**	**शौचालय सुविधा युक्त एडब्ल्यूसी/मिनी-एडब्ल्यूसी की कुल संख्या**	**शौचालयों की प्रतिशतता**
1	आंध्र प्रदेश	55607	55606	33451	60.16
2	तेलंगाना	35700	35634	14955	41.97
3	अरुणाचल प्रदेश	6225	6225	3043	48.88
4	असम	62153	62153	29356	47.23
5	बिहार	115009	91677	57529	62.75
6	छत्तीसगढ़	52474	50596	33462	66.14
7	गोवा	1262	1258	788	62.64
8	गुजरात	53029	53029	50325	94.9
9	हरियाणा	25962	25962	21994	84.72
10	हिमाचल प्रदेश	18925	18925	17417	92.03
11	जम्मू एवं कश्मीर	31938	29599	13070	44.16
12	झारखंड	38432	38432	28317	73.68
13	कर्नाटक	65911	65911	38420	58.29
14	केरल	33318	33244	30432	91.54
15	मध्य प्रदेश	97135	97132	72444	74.58
16	महाराष्ट्र	110486	109779	58553	53.34
17	मणिपुर	11510	11510	3114	27.05
18	मेघालय	5896	5896	4302	72.96
19	मिजोरम	2244	2244	1879	83.73
20	नागालैंड	3980	3980	3455	86.81
21	ओडिशा	74154	72587	38211	52.64
22	पंजाब	27314	26988	22081	81.82
23	राजस्थान	62010	61974	34656	55.92
24	सिक्किम	1308	1308	1182	90.37
25	तमिलनाडु	54439	54439	47652	87.53
26	त्रिपुरा	10145	10145	8067	79.52
27	उत्तर प्रदेश	190145	187997	134908	71.76
28	उत्तराखंड	20067	20067	14287	71.2
29	पश्चिम बंगाल	119481	115515	99135	85.82
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	720	720	503	69.86
31	चण्डीगढ़	500	500	500	100
32	दिल्ली	11150	10897	10707	98.26
33	दादरा एव नगर हवेली	302	302	262	86.75
34	दमन एवं दीव	107	107	101	94.39
35	लक्ष्यद्वीप	107	107	107	100
36	पुडुचेरी	855	855	674	78.83
	कुल	**14,00,000**	**13,63,300**	**9,29,339**	**68.17**

अनुलग्नक-3

दिनांक 24.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1471 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

एडब्ल्यूसी में शौचालय सुविधाओं के लिए 2017-18 के दौरान जारी निधि		
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**शौचालय सुविधाओं के लिए जारी राशि (लाख रुपए में)**
1	आंध्र प्रदेश	322.78
2	बिहार	396.72
3	छत्तीसगढ	182.38
4	गोवा	4.82
5	गुजरात	56.52
6	हरियाणा	48.60
7	झारखंड	243.72
8	कर्नाटक	303.48
9	केरल	80.57
10	मध्य प्रदेश	364.32
11	महाराष्ट्र	530.28
12	ओडिशा	351.79
13	पंजाब	48.96
14	राजस्थान	282.82
15	तमिलनाडु	70.27
16	तेलंगाना	290.30
17	उत्तर प्रदेश	549.58
18	पश्चिम बंगाल	163.73
19	दिल्ली	0.00
20	पुडुचेरी	0.00
21	हिमाचल प्रदेश	34.67
22	जम्मू और कश्मीर	256.82
23	उत्तराखंड	91.91
24	अंडमान और निकोबार	3.84
25	चंडीगढ़	0.00
26	दादरा एव नगर हवेली	1.32
27	दमन एवं दीव	0.24
28	लक्षद्वीप	0.00
29	अरुणाचल प्रदेश	49.46
30	असम	509.33
31	मणिपुर	105.08
32	मेघालय	24.73
33	मिजोरम	9.83
34	नागालैंड	0.00
35	सिक्किम	3.24
36	त्रिपुरा	29.81
कुल योग		**5411.92**

अनुलग्नक-4

दिनांक 24.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1471 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

अनुमोदित एडब्ल्यूसी भवनों की संख्या और एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत एडब्ल्यूसी भवनों के निर्माण के लिए जारी निधि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	एमजीएनआरईजीएस के तहत एडब्ल्यूसी भवनों का निर्माण (अनुमोदित यूनिट 2015-16)	जारी निधि (लाख रुपए में)	एमजीएनआरईजीएस के तहत एडब्ल्यूसी भवनों का निर्माण (अनुमोदित यूनिट 2016-17)	आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण, 2016-17 के लिए आईसीडीएस के अंतर्गत जारी निधि (लाख रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	2628	3153.60	3928	4713.60
2	बिहार			10335	12402.00
3	छत्तीसगढ़	2000	2362.15	2000	2400.00
4	गोवा				
5	गुजरात			431	517.20
6	हरियाणा			647	776.40
7	झारखंड	4000	2400.00	5000	6000.00
8	कर्नाटक			2844	3412.80
9	केरल			923	1107.60
10	मध्य प्रदेश	5000	6000.00	7000	8400.00
11	महाराष्ट्र	4908	2944.80	1720	2064.00
12	ओडिशा	5000	3000.00	7270	8724.00
13	पंजाब			1000	1200.00
14	राजस्थान	1385	831.00	2000	2400.00
15	तमिलनाडु			4303	5163.60
16	तेलंगाना	1000	1200.00	1734	2080.80
17	उत्तर प्रदेश	3020	1812.00	17859	21430.80
18	पश्चिम बंगाल			6782	8138.40
19	हिमाचल प्रदेश			160	288.00
20	जम्मू और कश्मीर			863	1553.40
21	उत्तराखंड			2583	4649.40
22	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह				
23	दादरा एव नगर हवेली				
24	असम	1000	900.00	1000	1800.00
25	मणिपुर				
26	मेघालय			790	1422.00
27	मिजोरम			172	309.60
28	नागालैंड				
29	सिक्किम			103	185.40
30	त्रिपुरा				
	कुल	**29,941**	**24,603.55**	**81,447**	**1,01,139.00**